	# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ## हरिद्वार–249404 **Website:psc.uk.gov.in**

संख्याः 03 / 80 / 05 / डी0ई0(प्रधानाचार्य)(मा0शि0) / सेवा–1 / 2023–2024 दिनांक ::02 अप्रैल, 2024

विस्तृत विज्ञप्ति

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, रा0इ0का0 / रा0बा0इ0का0 सीमित विभागीय परीक्षा– 2024

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या : **A-3/DE(Principal)**(मा0शि0) / **S-1/2024,** दिनांक 11 मार्च, 2024 के माध्यम से विज्ञापित **प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, रा0इ0का0 / रा0बा0इ0का0 सीमित विभागीय परीक्षा– 2024** हेतु पात्र अभ्यर्थियों से दिनांक 14 मार्च, 2024 से 03 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

उक्त विज्ञापन के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदनों पर मा0 आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में **अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर के अन्तर्गत M.Ed.(Master of Education) की उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।**

उक्त के दृष्टिगत **प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, रा0इ0का0 / रा0बा0इ0का0 सीमित विभागीय परीक्षा– 2024** हेतु सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तथा ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि **दिनांक 09 अप्रैल, 2024(रात्रि 11:59:59 बजे तक)** तक विस्तारित की जाती है।

2. उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन के **अतिमहत्वपूर्ण निर्देशों के बिन्दु संख्या 8** के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि **09.04.2024** तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों में संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) किए जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर online edit window लिंक दिनांक **15.04.2024 से 24.04.2024 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)** खोला जाएगा, जिसके संबंध में दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

(1) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत **(Edit/Correction)** लिंक खोला जायेगा।

(2) **(Edit/Correction)** हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।

(3) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की गई है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई–मेल आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग–इन कर पायेंगे।

(4) लॉग–इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।

(5) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा **Update** हो सकेगा।

(6) **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् **Edited Data** ही अंतिम माना जायेगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का **शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय** होगा। किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को **अन्य फील्डस में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं** होगा।

(8) अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये शुल्क को रिफंड नहीं किया जायेगा।

3. इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त **संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction)** के अंतिम अवसर के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी किसी भी प्रविष्टियों/दावों को संशोधित/परिवर्तित करने के प्रत्यावेदन/अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव